न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 75 / 2019

## अनवान

1. श्यामलाल आत्मज स्व.श्री बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी हमीरगढ पटवार क्षेत्र हमीरगढ।
2. गिरीश आत्मज स्व. श्री बंशीलाल ब्राह्मण निवासी हमीरगढ पटवार क्षेत्र हमीरगढ।
3. श्रीमती मोहनी पत्नी स्व. श्री बंशीलाल ब्राह्मण निवासी हमीरगढ पटवार क्षेत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

**बनाम**

1. शब्बीर आत्मज कासम मुसलमान निवासी कुण्ड चौक हमीरगढ पटवार क्षैत्र—हमीरगढ।
2. आजाद डायर आत्मज नानू मंसूरी मुसलमान नि. नई आबादी, हमीरगढ पटवार क्षेत्र हमीरगढ।
3. मोहम्मद जीनानी आत्मज गुलाम रसूल जीनानी मुसलमान नि. नया बाजार हमीरगढ पटवार क्षेत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956**

**निर्णय दिनांक 31—08—2021**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भॅू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 22.11.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1558 की कृषि भूमि की आ.न. 1404 रकबा 0.2023 हैo व आराजी नम्बर 1407 रकबा 0.2908 हैo भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.11.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 03 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

**—::आदेश::—**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1558 की कृषि भूमि की आ.न. 1404 [illegible]23 हैo व आराजी नम्बर 1407 रकबा 0.2908 हैo भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान [illegible] रेक[illegible]नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 30[illegible] पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500 / —रू0 की नियमानुसार अदायगी [illegible] पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 31 / 08 / 2021 को खुले न्यायाल[illegible] सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:59:18 IST
Reason: SelfAttested

(अशुल आमेरिया)

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ (राज.)